न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 121/2023 निर्णय दिनांकः 08.11.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/230

तोलूराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. गणपतराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी ।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 गांव कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के निवासीगण हैं। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 208 तादादी 6.1800 हैक्टेयर रोही मौजा कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। प्रार्थी के खेत सीवां जोड़ पूर्व व दक्षिण में स्थित खेत खसरा नम्बर 211 तादादी 10.650 हैक्टेयर स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत हैं। ग्राम कल्याणसर पुराना से खेतो का सैकड़ो वर्षो से पुराना रास्ता जो पूर्व से पश्चिम से चलकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 211 तादादी 10.650 हैक्टेयर में से होता हुआ, आगे खेतो में जाता हैं। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 211 में स्थित रास्ता से फंटकर अपने खेत खसरा नम्बर 208 में प्रवेश करता हैं, जो मात्र 40 फुट लम्बा व 18 फुट चौड़ा रास्ता हैं। उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थी पिछले काफी वर्षो से करता चला आ रहा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता को बार बार बंद कर दिया जाता है तथा प्रार्थी को भी उक्त रास्ते में से फंटकर अपने खेत में प्रवेश करने से बार बार रोक दिया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए रोकता रहता हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ते को बार बार निवेदन करके खुलवाना पड़ता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उक्त रास्ता को कांटो भिंटखे लगाकार बंद कर देता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता को बार बार बंद कर देने से व प्रार्थी को इस रास्ते में से फंटकर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

जाने से बार बार रोकने के कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को काश्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थी के खेत में आने जाने का उपरोक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है प्रार्थी का उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की भूमि में से होकर जाता हैं। उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु शुरू से ही चला आ रहा हैं। इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता रहा है। खेत खसरा नम्बर 211 से फंटकर खेत खसरा नम्बर 208 की दक्षिणी–पूरबी सीमा में 12 मीटर लम्बाई, 5 मीटर चौड़ाई में स्थित रास्ता से अपने खेत खसरा नम्बर 208 में प्रवेश करता हैं। प्रार्थी के खेत के रास्ता के दर्शाते हुये नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है, जिसमें लाल स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है, जो अप्रार्थी संख्या 1 गणपतराम की भूमि में से गुजरता हैं। उक्त रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में जाता है, जो अत्यन्त ही आवश्यकता का व प्रार्थी की भूमि तक पहूंचने का एकमात्र रास्ता है, उक्त रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौका पर मौजूद नही हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 208 के ठीक उतरी तरफ सीवां जोड़ खेत खसरा नम्बर 204 स्थित हैं, जो प्रार्थी की खातेदारी का खेत हैं। परन्तु खेत खसरा नम्बर 208 व 204 के मध्य की सीमा में बहुत ऊंचा एक रेत का टीला है, जो करीब 600 फुट की ऊंचाई पर हैं। खेत खसरा नम्बर 204 में से स्थित रास्ता से खेत खसरा नम्बर 208 में प्रवेश करना रेत का ऊंचा टीला होने के कारण कतई संभव नही हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता की आवश्यकता है, रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। प्रार्थी के भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है यही एक मात्र रास्ता हैं। जिससे प्रार्थी शुरू से इसी रास्ते होकर अपनी भूमि में आते जाते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त रास्ता को बार बार बंद कर देने के कारण प्रार्थीनजरी फर्द मौका नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये मार्क A से B के रास्ता को रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को रास्ते के क्षेत्रफल की नियमानुसार किमत अदा करने को तैयार हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त रास्ता बंद ना करने का बार बार निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को रास्ता देने से दिनांक 08.08.2023 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 208 तादादी 6.1800 हैक्टेयर रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के काबिज खातेदार कृषक हैं। प्रार्थी को इन्कारी की दिनांक से वादहेतु व वादगत खेत के खातेदार कृषक होने से वादाधार प्राप्त हैं। विवादित रास्ता की भूमि रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र मान्य् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में हैं। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 208 तादादी 6.1800 हैक्टेयर वाकेरोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 गणपतराम के खेत खसरा नम्बर 211 तादादी 10.650 हैक्टेयर [illegible] खेत खसरा नम्बर 208 की

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

दक्षिणी–पूरबी सीमा में 12 मीटर लम्बाई, 5 मीटर चौड़ाई रास्ता हैं। उक्त रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 गणपतराम के खेत खसरा नम्बर 211 में स्थित रास्ता से फंटकर प्रार्थी के खेत में जाता है, को सुचारू रूप से चालू करवाया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। स्टेट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा आपति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर आपति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर मंगवाई गई। स्टेट की ओर से पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 208 प्रार्थी की खातेदारी का है व खसरा नम्बर 211 मुझ अप्रार्थी की खातेदारी का खेत है प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 211 में से फंटकर कभी भी अपने खेत खसरा नम्बर 208 में प्रवेश नहीं करता है और ना ही प्रार्थी मुझ अप्रार्थी के खेत में से किसी रास्ता का उपयोग व उपभोग करता है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित कराये है। जब मुझ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के खेत में आने–जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो उसे खुलवाने का प्रश्न ही नही पैदा होता। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की रचना हेतु झुठे व मनघड़त तथ्य अंकित करवाये है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया नया रास्ता कोई आवश्यकता का रास्ता नहीं है। प्रार्थी का कोई रास्ता मुझ अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की भूमि मे से होकर नहीं जाता है। प्रार्थी ने गलत अंकित करवाये है। खसरा नम्बर 211 से फंटकर कोई रास्ता खसरा नम्बर 208 में प्रवेश नहीं करता है। नजरी नक्शा प्रार्थी ने स्वयं ने अपनी मनमर्जी से तैयार किया है जो कि गलत है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 208 के चिपते ही खसरा नम्बर 204 है जो प्रार्थी की ही खातेदारी का खेत है खसरा नम्बर 208 व 204 मौका पर एकल खेत है। खसरा नम्बर 204 से कट्टानी मार्ग गुजरता है जो प्रार्थी का ही खेत है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत मे से ही कट्टानी मार्ग गुजरता है जो मौके पर चल रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुर्भावना पर आधारित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से पहले से ही कट्टानी मार्ग चल रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सद्भावनापूर्वक नहीं है प्रार्थी मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करना चाहता है प्रार्थी मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करना चाहता है मेरी खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप करना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 204 व 208 है यह दोनो खेत मौके पर चिपाचिप व एकल है तथा खसरा नम्बर 204 में मौका पर कट्टानी मार्ग गुजरता है जो बकायदा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] इसी कट्टानी मार्ग से प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

अपने खेत खसरा नम्बर 204 व 208 में आवागमन ट्रैक्टर ऊंठ गाढ़ा आदि वाहनो से करता आया है और कर रहा है। प्रार्थी को वास्तविक रूप से धारा 251ए के अन्तर्गत रास्ता की आवश्यकता नहीं है। मात्र अप्रार्थी को तंग परेशान करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.11.2015 की प्रति पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2023 व 20.06.2024 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 208 के चिपते ही खसरा नम्बर 204 है जो प्रार्थी की ही खातेदारी का खेत है खसरा नम्बर 208 व 204 मौका पर एकल खेत है। खसरा नम्बर 204 से कट्टानी मार्ग गुजरता है जो प्रार्थी का ही खेत है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता चाहा गया है जबकि धारा 251 (क) के तहत रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) की श्रेणी में नहीं आता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested